HAPUR POLICE

OPERATION CONVICTION

हापुड़ पुलिस द्वारा मा0 न्यायालय में प्रभावी, सशक्त पैरवी करते हुए जान से मारने की नियत से चाकू से वार करने के मामले में 02 आरोपियो को 10-10 वर्ष सश्रम कारावास व 21,000-21,000/- रुपये (कुल 42,000/-रुपये) के अर्थदण्ड से दंडित कराया गया।

पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 महोदय द्वारा चलाये जा रहे "ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान के अन्तर्गत आरोपियों को न्यूनतम समय में सजा दिलाए जाने के क्रम में हापुड़ पुलिस द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन व मॉनीटरिंग सेल द्वारा प्रभावी पैरवी करते हुए आज दिनांक 17.03.2026 को मा0 न्यायालय द्वारा जान से मारने की नियत से चाकू से वार करने के मामले में 02 आरोपियो को दण्डित कराया गया है, जिसका विवरण निम्नवत् है-

- दिनांक 10.06.2020 को अभियुक्त 1. विकास पुत्र स्व0 महेन्द्र सिंह 2. मोनू उर्फ मोहित पुत्र स्व0 महेन्द्र सिंह निवासी ग्राम सबली थाना हापुड नगर जनपद हापुड द्वारा जान से मारने की नियत से चाकू से वार करने की दुस्साहसिक घटना कारित की गई थी जिसके सम्बन्ध में थाना हापुड़ नगर पर मु0अ0सं0 380/2020 धारा 307, 34, 504 भादवि पंजीकृत किया गया था तथा दिनांक 04.08.2020 को आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया।
- मॉनिटरिंग सैल हापुड़ द्वारा मा0 न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न कराई गई, जिसके परिणामस्वरूप आज दिनांक 17.03.2026 को अभियुक्तगण उपरोक्त को मा0 न्यायालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश हापुड़ द्वारा 10-10 वर्ष सश्रम कारावास व 21,000-21,000/- रुपये (कुल 42,000/-रुपये) के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई।
- अभियोजन विभाग से श्री गौरव नागर (शासकीय अधिवक्ता) व पैरोकार म0का0 मधु व कोर्ट मोहर्रिर है0का0 विपिन कुमार का विशेष योगदान रहा।